सत्यमेव जयते

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पोत परिवहन मंत्रालय / MINISTRY OF SHIPPING
नौवहन महानिदेशालय / DIRECTORATE GENERAL OF SHIPPING
"बिटा बिल्डिंग", 9 वी मंजिल / "BETA BUILDING", 9th FLOOR
आय-थिंक टेक्नो कॅम्पस / I-THINK TECHNO CAMPUS
कांजुर गांव रोड / KANJUR VILLAGE ROAD
कांजुर मार्ग (ईस्ट) / KANJUR MARG(EAST)
मुंबई - 400 042 / MUMBAI – 400 042

टेलीफोन: 022-25752040/1/2/3
फैक्स: 022 – 25752029 / 35
ई-मेल: dgship-dgs@nic.in
वेब: www.dgshipping.gov.in

Tele: 022–25752040/1/2/3
Fax: 022 – 25752029 / 35
E-mail: dgship-dgs@nic.in
Web: www.dgshipping.gov.in

फ.संख्या. सीआर/सीडीसी/विशेष/08/2013-I

दिनांक: 06/03/2019

वर्ष 2019 का नौवहन महानिदेशालय आदेश संख्या-01

विषय:- उक्त नियमों के प्रवृत्त होने से पहले अंतरराष्ट्रीय यात्री पोतों पर कार्य कर चुके समुद्र कर्मियों के लिए वाणिज्य पोत परिवहन (सीडीसी) नियम 2017 के नियम(4) के उप नियम (5) की अपेक्षा से छूट.

1. जबकि, पोत परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार में सा.का.नियम 883(ई)दिनांक 14.07.2017 के माध्यम से वाणिज्य पोत परिवहन (सीडीसी) नियम, 2017 अधिसूचित कर दिए गए हैं.

2. जबकि, उक्त नियम दिनांक.11.01.2018 से उक्त नियमों के नियम 1 का उप नियम (2) के अनुसरण में प्रवृत्त हुए हैं.

3. जबकि, उक्त नियम 4 के उप नियम (5) में यह विहित किया गया है कि उक्त नियमों के अंतर्गत सीडीसी प्राप्त करने के लिए पात्रता शर्त की पूर्ति हेतु आवेदक आवश्यक रूप से दसवीं कक्षा उत्तीर्ण हो.

4. जबकि, परिस्थितियां ऐसी आ गयीं जिनमें नियम 4 के उप नियम (5) द्वारा विहित पात्रता शर्त की पूर्ति सबंधी अपेक्षा में उन समुद्र कर्मियों को छूट देनी चाहिए जिन्होंने उक्त नियम के प्रवृत्त होने से पहले अंतरराष्ट्रीय यात्री पोतों पर कार्य किया है|

5. जबकि, भारत सरकार की अधिसूचना सा.आ. 3144 दिनांक 17.12.1960 के साथ पठित वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 456 की उप धारा (1), नौवहन महानिदेशक को यह शक्ति प्रदान करती है कि वह जैसा उचित समझे वह शर्त लगाकर उस तरह से लिखित

रूप में आदेश देकर किसी पोत या पाल जलयान या किसी मास्टर, टिंडल या नाविक को उक्त अधिनियम के अनुसरण में विहित या उसमें निहित किसी विनिर्दिष्ट अपेक्षा से छूट दे सकता है.

6. जबकि, वाणिज्य पोत परिवहन (सीडीसी) नियम, 2017 के माध्यम से उक्त अधिनियम के अनुसरण में विहित सीडीसी प्राप्त करने लिए पात्रता शर्त दी गयी है।

7. अब इसलिए, अधोहस्ताक्षरी, भारत सरकार की अधिसूचना सा.आ. 3144 दिनांक 17.12.1960 के साथ पठित, वाणिज्य पोत परिवहन 1958की धारा 456 की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उक्त नियमों के अंतर्गत सीडीसी प्राप्त करने के लिए पात्रता शर्त के संबंध में छूट प्रदान करता है.

7.1 शर्तो के अधीन 11.1.2018 से पहले अंतरराष्ट्रीय यात्री पोत पर कार्य कर चुके समुद्रकर्मी के लिए, वाणिज्य पोत परिवहन (सीडीसी) नियम, 2017 के नियम 4 के उप नियम (5) के अंतर्गत यथाविहित अपेक्षा है कि 'आवेदक आवश्यक रूप से दसवीं कक्षा पास से एतद्वारा छूट प्रदान की जाती है.

7.1.1 सीडीसी जारी किए जाने के किए आवेदनकर्ता समुद्रकर्मियों द्वारा नियम 4 के उप नियम (1) के उपनियम (4) अंतर्गत विहित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया हो; और
7.1.2 इस बात का प्रमाण हो कि 11.2.2018 से पहले अंतरराष्ट्रीय पोत पर कार्य किया गया है, उसे आवेदन करने की ऑनलाइन प्रणाली में लिखते समय सीडीसी जारी करने के लिए आवेदन करते समय प्रस्तुत किया जाए.

8. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा.

1/3/19

(अमिताभ कुमार)
नौवहन महानिदेशक

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पोत परिवहन मंत्रालय / MINISTRY OF SHIPPING
नौवहन महानिदेशालय / DIRECTORATE GENERAL OF SHIPPING
"बिटा बिल्डिंग", 9 वी मंजिल / "BETA BUILDING", 9th FLOOR
आय-थिंक टेक्नो कॅम्पस / I-THINK TECHO CAMPUS
कांजुर मार्ग (ईस्ट)/KANJUR MARG (EAST),
मुंबई-400 042/MUMBAI–400 042

टेलीफोन/ Tel :91-22-25752040–43
ई-मेल/ E-mail: dgship-dgs@nic.in
फैक्स/Fax:91-22-25752029/35
वेब/ Web: www.dgshipping.gov.in

F. No. CR/CDC (Special)/08/13-I

Dated: 06.03.19

DGS Order No. 01 of 2019

Sub: Relaxation of requirement of sub-rule (5) of Rule 4 of Merchant Shipping (Continuous Discharge Certificate) Rules, 2017, for seafarers who have worked on International Cruise Ships before coming into force of said rules.

1. Whereas, the Ministry of Shipping, Government of India vide G.S.R. 883(E) dated 14.07.2017 has notified Merchant Shipping (Continuous Discharge Certificate) Rules, 2017.

2. Whereas, the said rules have come into force with effect from 11.01.2018, in accordance with sub-rule (2) of Rule 1 of said rules.

3. Whereas, sub-rule (5) of Rule 4 prescribes that 'an applicant must have passed 10th standard', in order to meet the eligibility conditions for obtaining Continuous Discharge Certificate under the said rules.

4. Whereas, the circumstances has arisen in which the requirement of meeting eligibility condition prescribed by sub-rule (5) of Rule 4 ought to be dispensed with, for those seafarers who have worked on International Cruise Ships before coming into force of said rules.

5. Whereas, sub-section (1) of Section 456 of the Merchant Shipping Act, 1958 read with Government of India's Notification S.O. 3144 dated 17.12.1960, empowers the Director General of Shipping, by order in writing and upon such condition as he may think fit to impose, exempt any ship or sailing vessel or any master, tindal or seamen from any specified requirement contained in or prescribed in pursuance of the said Act.

6. Whereas, the eligibility condition for obtaining Continuous Discharge Certificate has been prescribed in pursuance of the said Act through Merchant Shipping (Continuous Discharge Certificate) Rules, 2017.

7. Now therefore, the undersigned, in exercise of power conferred under sub-section (1) of Section 456 of the Merchant Shipping Act, 1958 read with Government of India's Notification S.O. 3144 dated 17.12.1960, issues the following exemption in relation to eligibility condition for obtaining Continuous Discharge Certificate under said rules;

7.1. The requirement that 'an applicant must have passed 10th standard', as prescribed under sub-rule (5) of Rule 4 of Merchant Shipping (Continuous Discharge Certificate) Rules, 2017, is hereby

dispensed with, for those seafarers who have worked on international cruise ship before 11.01.2018, subject to meeting the following conditions;

7.1.1. The requirements as prescribed under sub-rule (1) to sub-rule (4) of Rule 4 has been complied with by the seafarer applying for the issuance of Continuous Discharge Certificate, and

7.1.2. The evidence of having worked on international cruise ship before 11.01.2018, is produced at the time of filing of the application for issuance of Continuous Discharge Certificate, as mentioned in online system of filing up of application.

8. This order shall come into force with immediate effect.

(Amitabh Kumar) 6/3/19

Director General of Shipping